न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	07.07.2017	15.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्यकारोबारकर्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री घीसालाल राजावत जाति राजपूत निवासी पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स राजावत किराणा स्टोर पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
2– मैसर्स राजावत किराणा स्टोर पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
3–श्रीमति सूरज देवली निवासी ए–132 जनता कॉलोनी, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स विजयवर्गीय ब्रदर्स 355–356 त्रिपोलिया बाजार जयपुर राज.
4– मैसर्स विजयवर्गीय ब्रदर्स 355–356 त्रिपोलिया बाजार जयपुर राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.04.2017 को समय 02:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजावत किराणा स्टोर पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री शैलेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री घीसालाल राजावत उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शैलेन्द्र सिंह राजावत ने स्वयं को मैसर्स राजावत किराणा स्टोर पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 18 मूल पैक प्रत्येक 250 ग्राम पैक के **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री शैलेन्द्र सिंह राजावत को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतियों में विक्रेता शैलेन्द्र सिंह राजावत व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 17 एवं पैंकिंग की दिनांक सितम्बर 2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 250 ग्राम पैक के आठ मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** के 8 मूल पैक प्रत्येक 250 ग्राम पैक को दो–दो नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 500 ग्राम) एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1590 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1590 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री शैलेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री घीसालाल राजावत जाति मैसर्स राजावत किराणा स्टोर पंचायत भवन के पास हमीरपुर तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स मैसर्स विजयवर्गीय ब्रदर्स 355–356 त्रिपोलिया बाजार जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत किया। वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स विजयवर्गीय ब्रदर्स 355–356 त्रिपोलिया बाजार जयपुर राज. को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1982 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/250/एक्ट/2017/250 दिनांक 21.04.2017 अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 02.11.2017 को श्री श्याम सुन्दर शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सीटीसी लीफ चाय (रूबी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

15/7/2022

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0